

उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) -ऊर्जा मंत्रालय (Rise – Ministry of Energy-Government Plans)

उद्देश्य

- उदय का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों (जनसमूहों) (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना,
- समस्या का एक टिकाऊ और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना।
- दीर्घ काल में सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24x7 बिजली।

अपेक्षित लाभार्थी

- डिस्कॉम
- संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र
- नवीकरणीय खरीद दायित्वों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य विशेषताएं

- 2018-19 तक सभी वितरण कंपनियों को लाभदायक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य।
- यह चार पहलों से होगा
- डिस्कॉमों की परिचालन क्षमता में सुधार;
- ऊर्जा की लागत में कमी करना;
- डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कटौती करना;
- राज्य वित्त के समान डिस्कॉमों में भी वित्तीय अनुशासन लागू किया जाए।
- राज्यों को 30 सितम्बर 2015 से 2 वर्षों में डिस्कॉम का 75 प्रतिशत ऋण स्वयं चुकाना चाहिए जैसे 50 प्रतिशत 2015-2016 में एवं 25 प्रतिशत 2016-17 में
- भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे (एफआरबीएम के लिए) की गणना में उपरोक्त योजना के अनुसार राज्यों द्वारा उठाए गए ऋण शामिल नहीं करेगी।
- राज्य बाजार में या सीधे संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों (जिनका डिस्कॉम पर कर्ज है) को एसडीएल सहित गैर-एसएलआर **बांड** जारी करेंगे।
- डिस्कॉम का जो ऋण राज्य नहीं चुकायेंगे उसे बैंक/एफएलएस लोन या बांड में, परिवर्तित कर देंगे।